न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 85/22 निर्णय दिनांकः 20-11-2023
(जीसीएमएस संख्या 2020/00106)

1. गजेन्द्रसिंह
2. उम्मेदसिंह
3. हरपालसिंह
4. गणेशसिंह
5. बृजमोहनसिंह
6. आशाकंवर
7. समस्त पिसरान स्व. सुगनसिंह पुत्र कुम्भसिंह जाति राजपूत निवासी लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 19—03—1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 19—03—1985 जिसके द्वारा अपीलांट् को गजट में प्रकाशित भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन श्रेणी में किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पिता ने बतौर भूमिहीन आवंटन के तहत तहसील खाजुवाला में आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट्स के पिता को चक 43 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 82/44 में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 82/52 में 24 बीघा 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 49 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी अपीलांट्स के पिता को जारी कर दिया गया। परन्तु अपीलांट्स के पिता को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि आवंटित भूमि पूर्व से ही गजट में विज्ञापित भूमि थी। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट् को बतौर भूमिहीन श्रेणी में प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा न तो आज दिनांक तक अन्य भूमि का आवंटन किया गया नाही पूर्व के आवंटन को खारिज किया गया है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट्स के पिता को आवंटित भूमि पूर्व से ही गजट में प्रकाशित भूमि है इसलिए अपीलांट्स अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट्स के पिता के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा न तो आवंटन निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट्स की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट्स को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–03–1985 के विरूद्व अपील दिनांक 26–05–22 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट्स के पिता को आवंटित भूमि पूर्व से ही गजट में प्रकाशित भूमि है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट्स किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–03–1985 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 26–05–2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स के पिता द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 43 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 82/44 में 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं मुरब्बा नम्बर 82/52 में 24 बीघा 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 49 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट्स के पिता को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि थी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(2) जहॉ तक अपीलांट्स के पिता को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट्स को नहीं मिल सकता।

(3) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार–बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट्स की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट्स अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलांट् को गजट में प्रकाशित भूमि का आवंटन होना साबित है। अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट का आवंटन खारिज करते हुए उसे अन्यत्र भूमि प्रदान की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो खारिज कर किया गया नाही आवंटित भूमि की एवज में अन्य भूमि प्रदान नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं किये जाने के फलस्वरूप ही अपीलांट्स को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ी है। अपीलांट्स की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(5) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में विशेष आवंटन हेतु आरक्षित होने के कारण अपीलांट्स भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–03–1985 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए व राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसरण में भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

9. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20/11/23 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर